न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—228 / 2024 / 223 आर.टी.एक्ट (2024 / 228)

1. कमलेश पुत्र अन्ना
2. कैलाश पुत्र अन्ना
3. श्रीमती गुमानी पत्नि अन्ना
4. दुर्गा सिंह पुत्र अन्ना
5. शैतानसिंह पुत्र अन्ना

   समस्त जाति रावत निवासरी अंधेरी देवरी तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

अपीलांट्स

बनाम

1. कमला पुत्री गोम सिंह
2. जमना पुत्री गोम सिंह
3. नन्दसिंह उर्फ चन्दन सिंह पुत्र गोम सिंह
4. नारायण सिंह पुत्र गोम सिंह
5. सायरी पुत्री गोम सिंह

   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम अंधेरी देवरी तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
6. राजस्थान सरकार तहसीलदार मसूदा जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा पारित निर्णय 11.07.2024 व डिक्री दिनांक 12.07.2024 राजस्व वाद संख्या 147 / 2022

उपस्थितः—

1. श्री एस0पी0औझा0 अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हसन खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 6

निर्णय

दिनांकः—17.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 147 / 2022 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2024 व डिक्री दिनांक 12.07.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188 बाबत विभाजन व बेदखली हेतु प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दिनांक 09.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अपीलांट को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वाद को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए बंटवारा प्रस्ताव मंगाए जाने हेतु तहसीलदार मसूदा को तहरीर जारी करने के आदेश पारित कर दिए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 147/2022 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2024 व डिक्री दिनांक 12.07.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय 11.07.2024 व डिक्री दिनांक 12.07.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दी है। जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने वाद पत्रावली नियत पेशी दिनांक 18.07.2024 के बजाय बेक डेट दिनांक 11.07.2024 में कांटा फांसी करते हुए नियत कर जवाब साक्ष्य व सुनवायी का अवसर प्रदान किये बगेर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री गलत रूप से पारित की है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 02.09.2024 को प्राप्त करने के पश्चात् उनके अभिभाषक द्वारा एक पक्षीय निर्णय व डिक्री को निरस्त करने की उसी न्यायालय में कार्यवाही करने बाबत् अवगत कराया लेकिन कोई कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की गई तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षर अभिभाषक से दिनांक 27.09.2024 को सम्पर्क करने पर अपील प्रस्तुत करने की ही सलाह दी जिस पर बिना विलम्ब के यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 - *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने वाद को साबित हुए बगैर वाद को डिक्री करने में भारी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, के समक्ष पत्रावली प्रतिवादी/अपीलांट के जवाब हेतु नियत थी और दिनांक 11.07.2024 से आगामी दिनांक 18.07.2024 नियत कर दी थी तत्पश्चात् दिनांक 18.07.2024 की फर्दकाम में अंकित की गई तत्पश्चात् दिनांक 11.07.2024 को फर्दकाम में काट फासी की गई और दिनांक 18.07.2024 को भी दिनांक 11.07.2024 करते हुए बेक डेट में जवाब दावा बन्द करते हुए अपने संक्षिप्त निर्णय द्वारा वाद को साबित कर बगेर वाद स्वीकार कर लिया और दिनांक 12.07.2024 को प्राथमिक डिक्री पारित कर दी उपरोक्त संदर्भ में न्यायालय की फर्दकाम प्रस्तुत की जा रही है कि जिससे यह स्पष्ट है किस प्रकार न्यायालय द्वारा कांटा फांसी करते हुए बेक डेट में निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, के समक्ष वादी/रेस्पो0 को अपना दावा सिद्ध करना था लेकिन निर्णय से स्पष्ट नहीं है कि कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किये गये और जो भी दस्तावेज होंगे व बिना प्रदर्श पढ़े नहीं जा सकते और उपखण्ड अधिकारी, के निर्णय व डिक्री से स्पष्ट है कि वादी के बयान हुए एवं ना कोई दस्तावेज प्रदर्श हुए हैं क्योंकि निर्णय व वादी बेक डेट व कांटा फांसी करते हुए किसी भी विधिक प्रकिया का अनुसरण नहीं हुआ है इसलिये निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने वाद को निर्णित करने जो एक विधिक प्रकिया अपनायी जाती है। उसका अनुसरण नहीं किया गया क्योंकि अगर प्रतिवादी ने जवाब नहीं दिया तो जवाब बंद करने के पश्चात् वादी की साक्ष्य तत्पश्चात् प्रतिवादी की साक्ष्य में पत्रावली नियत होगी तत्पश्चात् बहस सुनी जायेगी लेकिन उक्त वाद में कांटा फांसी करके दिया गया है इसलिये यह सभी विधिक प्रकिया का अनुसरण नहीं होकर निर्णय व डिक्री पारित की है। विवादित आराजी को प्रतिवादी अपीलांट के पिता अन्ना द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 30.11.1984 के द्वारा दो अलग अलग पंजीकृत विक्रय पत्रों से खरीद की है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 716 जिसके हाल खसरा नम्बर 865 बनाये गये है का 1/2 हिस्सा उसका सहखातेदार माला पुत्र पन्ना द्वारा अपीलांट के पिता व पति अन्ना पुत्र हजारी द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया इसी प्रकार साबिक 792 रकबा 9 बिस्वा 10 बिस्वानसी जिसका हाल खसरा नम्बर 546/907 सम्पूर्ण को खातेदार माला पुत्र पन्ना द्वारा अपीलांट के पिता व पति अन्ना वल्द हजारी द्वारा पंजीकृत बैनामे से खरीद कर दिनांक 30.11.1984 को कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से अन्ना तत्पश्चात् उसके वारिस वर्तमान अपीलांट उक्त रकबे की सम्पूर्ण आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है इस कारण ही उक्त वाद के माध्यम से विवादित आराजी पर काबिज होने के उद्देश्य से यह वाद प्रस्तुत किया गया जो चलने योग्य नहीं था बिना विधिक प्रकिया को अपनाये कांटा फांसी कर बेक डेट में निर्णय व डिक्री पारित करने में उपखण्ड अधिकारी ने भारी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, ने यह वाद को सरसरी रूप से निर्णय किया है बेदखल के वाद की मियाद 12 वर्ष है चूंकि प्रतिवादी अपीलांट हाल खसरा नम्बर 960 जिसके साबिक खसरा नम्बर 792 रकबा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी सम्पूर्ण पर खरीद से काबिज काश्त है अर्थात लगभग 38 वर्ष से काबिज काश्त है इसलिये वादीगण रेस्पो0 का वाद मियाद बाहर था चूंकि उपरोक्त सभी तथ्य प्रतिवादीगण का जवाब प्रस्तुत होता तो न्यायालय का निर्णय जवाब अनुसार होता लेकिन न्यायालय के द्वारा बेक डेट पर फर्दकाम में कांटा फांसी कर बिना जवाब प्रस्तुत हुए मियाद बाहर वाद को डिक्री कर दिया इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 6 को तो

तलब ही नहीं किया गया जबकि विभाजन के वाद में तहसीलदार मसूदा को तलब किया जाना मेडन्ट्री था लेकिन प्रतिवादी संख्या 6 को तलब किये बगेर वाद को डिक्री करने में भारी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, वादी द्वारा विवादित आराजी को अपने वाद में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि मानकर बेदखली व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जबकि प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 5 भी विवादित आराजी का खातेदार है जिसके बाबत् कोई कारण भी अंकित नहीं है उसके बावजूद उक्त वाद को गलत निर्णय व डिक्री किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, का यह मानना है कि वादीगण ने कब्जे का अनुतोष चाहा है किन्तु विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विभाजन होने के बाद हिस्से अनुसार कब्जे प्राप्ति का अधिकारी पाया जाता है जो गलत है अगर बेदखली का वाद प्रस्तुत हुए है तो बेदखल किये जाने की डिक्री पारित की जायेगी उसके बाद ही विभाजन की डिक्री पारित की जायेगी उपखण्ड अधिकारी, मसूदा की सोच निर्णय व डिक्री पारित करने में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त की गलत विवेचना पारित की इसलिये निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 147/2022 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2024 व डिक्री दिनांक 12.07.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि मौजा अंधेरी देवरी पटवार हल्का अंधेरी देवरी तहसील मसूदा में खसरा नंबर 1546/960 रकबा 0.0728 हैक्टयर एंव 865 रकबा 0.1659 हैक्टयर स्थित चली आ रही है। उक्त भूमियां वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। इस कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच कमती बती को लेकर आये दिन झगडा होता है, तथा वादीगण ने दिनांक 5.7.2022 को विधिक बंटवारा करवाने व कब्जा लेने हेतू आग्रह किया किन्तु इन्कार हो गये इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है, अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादग्रस्त भूमियों का राजस्व रेकार्ड अनुसार बॉई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय बहस पर मनन करते हुए वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णय दिनांक 11.07.2024 व डिक्री दिनांक 12.07.2024 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2073–2076 ग्राम अंधेरीदेवरी, तहसील मसूदा जिला अजमेर के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम अंधेरी देवरी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1546/960 रकबा 0.0728 एवं खसरा नम्बर 865 रकबा 0.1659 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2287 है0 है, जो कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है। वादी/रेस्पोडेंट द्वारा विवादित आराजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर बंटवारा व बेदखली का अनुतोष चाहा गया था।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद दिनांक 09.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। दिनांक 20.01.2023 को प्रतिवादीगण के

अभिभाषक द्वारा प्रकरण में वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 21.03.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को जवाब प्रस्तुत किए जाने हेतु न्यायहित में 200/–रूपए कोस्ट पर अंतिम अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 11.07.2024 से आगामी पेशी दिनांक 18.07.2024 में नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को नियत दिनांक 18.07.2024 से पूर्व ही नियत कर प्रकरण में दिनांक 11.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के जवाब प्रस्तुत किए जाने के समुचित अवसर को बंद किया जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया कि अगर प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो जवाब बंद करने के पश्चात वादी/रेस्पोडेंट की साक्ष्य उपरांत प्रतिवादी की साक्ष्य में पत्रावली नियत कर बहस सुनकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया जाना विधिसम्मत था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि बेदखली के वाद में अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत किए जाने का समुचित अवसर प्रदान किया जाता तो सही तथ्य न्यायालय के समक्ष दृष्टिगत हो जाते।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में प्रतिवादी संख्या 6 को तलब ही नहीं किया गया जबकि तहसीलदार, मसूदा लेण्ड होल्डर होने से उन्हें प्रकरण में तलब किया जाना आवश्यक था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रतिवादी संख्या 6 को तलब किए प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा अपने वाद में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बाबत ही वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 को भी सम्मिलित करते हुए प्रकरण में बिना मांगे रिलिफ प्रदान की गई।

हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट हुए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दिनांक 20.01.2023 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था व दिनांक 21.03.2024 तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सात बार अवसर दिए जाने के उपरांत भी जब प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में 200/–रूपए कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया गया बावजूद इसके अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, यह अपीलांट/प्रतिवादीगण की प्रकरण के प्रति उदासीनता/लापरवाही को दर्शाता है। अतः हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को न्यायहित में एक समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है व अपीलांट को यह निर्देश दिए जाते है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करे।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट्स **2000/–रूपए** की कोस्ट पर आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 147/2022 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2024 व डिक्री दिनांक 12.07.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट द्वारा **2000/–रूपए** की कोस्ट राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन के खाते में जमा करवाकर उक्त रसीद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात प्रकरण को पुनः दर्ज कर अपीलांट को न्यायहित में जवाब प्रस्तुत किए जाने के अधिकतम तीन अवसर प्रदान करे व अपीलांट द्वारा तीन अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किए

जाने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.04.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर